भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4256

19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: राजस्थान में एग्रीस्टैक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म

4256. श्री राहुल कस्वां:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अपने एग्रीस्टैक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का राजस्थान के चूरू जैसे ज़िलों में विस्तार करने की योजना बना रही है, जिससे कि किसानों को रीयल-टाइम डेटा, सलाह, वीज और इनपुट आपूर्ति से जोड़ा जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना के तहत प्रायोगिक ज़िलों और भागीदारों (जैसे जियो, सिस्को, आईटीसी, निंजाकार्ट) की सूची क्या है;

(ग) क्या उक्त प्लेटफ़ॉर्म में डेटा की गोपनीयता, किसानों की सहमति और राज्य स्तरीय सहयोग सुनिश्चित करने के प्रावधान शामिल हैं;

(घ) क्या उक्त प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने के लिए किसानों को कोई प्रशिक्षण या अवसंरचना सहायता प्रदान की गई है;

(ङ) क्या मूल्य अंतर्दृष्टि, खरीद लिंक या इनपुट अलर्ट जैसे किसी भी रीयल-टाइम लाभ की सूचना दी गई है; और

(च) यदि हाँ, तो वर्ष 2025-26 के लिए उक्त प्लेटफ़ॉर्म का प्रभाव और शुरू करने की योजना क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (च): सरकार ने सितंबर 2024 में डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन में देश में सुदृढ़ डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिए कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) जैसे एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफ़ाइल मानचित्र के निर्माण की परिकल्पना की गई है जो नवीन किसान-केंद्रित डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देता है और सभी किसानों को समय पर विश्वसनीय फसल संबंधी

जानकारी उपलब्ध कराता है। एग्रीस्टैक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन मूलभूत रजिस्ट्रियां या डेटाबेस अर्थात भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र, फसल बोई गई रजिस्ट्री और किसान रजिस्ट्री शामिल हैं, जिसे सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सृजित और अनुरक्षित किए जाते हैं। वर्तमान में, राजस्थान राज्य सहित डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं

किसान रजिस्ट्री किसानों के जनसांख्यिकीय विवरण, भूमि जोत और बोई गई फसलों पर व्यापक और उपयोगी डेटा प्रदान करती है, जिससे किसान ऋण, बीमा, खरीद आदि जैसे लाभों और सेवाओं तक पहुँचने के लिए अपनी डिजिटल पहचान और प्रमाणीकरण कर सकते हैं। यह राज्यों को ऐसे समाधान तैयार करने में भी सक्षम बनाती है जो किसानों के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे कि इनपुट और उपज की ऑनलाइन विश्वसनीय तरीके से खरीद और बिक्री तक पहुँच प्रदान करते हैं। डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) प्रणाली द्वारा सक्षम बोई गई फसल रजिस्ट्री प्रत्येक कृषि भूखंड के लिए सटीक, वास्तविक समय की फसल क्षेत्र की जानकारी प्रदान करती है।

दिनांक 14.08.2025 तक, राजस्थान राज्य में कुल 78,37,621 किसान पहचान पत्र तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से 2,67,353 किसानों ने किसान पहचान पत्र पंजीकरण के लिए नामांकन कराया है। इसी तरह रबी 2024-25 में चूरू जिले के 4,77,670 भूखंड सहित राजस्थान के 33 जिलों में 4.5 करोड़ से अधिक भूखंडों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जा गया है।

किसान रजिस्ट्री के डेटा पर संबंधित राज्यों का अधिकार होता है। इसके अलावा, भारत सरकार एग्रीस्टैक में सुदृढ़ डेटा सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेटी), भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) के विभिन्न अन्य साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन करती है। एग्रीस्टैक किसान की जानकारी

को एन्क्रिप्टेड रखता है ताकि केवल नामित सिस्टम ही इसे पढ़ सकें। सुरक्षित एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) और टोकन-आधारित प्रमाणीकरण सभी डेटा एक्सचेंज को नियंत्रित करते हैं, जिससे डेटा तक नियंत्रित पहुंच सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, सरकार इन आईटी सिस्टम में संग्रहीत डेटा की सुरक्षा के लिए सभी आईटी सिस्टम का नियमित सुरक्षा ऑडिट करती है। इसके अतिरिक्त, एग्रीस्टैक से किसान डेटा केवल एग्रीस्टैक में सहमति प्रबंधक फ्रेमवर्क के माध्यम से संबंधित किसानों की स्पष्ट सहमति से साझा किया जा सकता है।

सरकार एग्रीस्टैक के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है, ताकि किसानों को अपनी आईडी सृजित करने में सुविधा हो और डिजिटल फसल सर्वेक्षण संचालित किया जा सके।

i. राज्य अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

ii. किसान पहचान-पत्र और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए सॉफ्टवेयर।

iii. परियोजना निगरानी इकाई बनाने हेतु मानव संसाधनों की भर्ती हेतु सहायता।

iv. परियोजना के कार्यान्वयन के लिए क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना।

v. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओई) ने वर्ष 2025-26 के दौरान पूंजी निवेश के लिए राज्यों को कुल आवंटन 6000 करोड़ रुपये के साथ विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) की स्कीम की घोषणा की है।

vi. इसके अलावा, सरकार ने राज्यों को शिविर-मोड दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है, जिसके अंतर्गत राज्यों को क्षेत्र-स्तरीय शिविर आयोजित करने और स्थानीय प्रशासन को सक्रिय करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रति शिविर 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

vii. किसान रजिस्ट्री के निर्माण और सत्यापन में तेजी लाने के लिए, पीएम किसान स्कीम के प्रशासनिक कोष से प्रति किसान पहचान-पत्र 10 रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग किसान रजिस्ट्री के निर्माण में शामिल क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को मानदेय प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

****